# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 503] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 1981/कार्तिक 18, 1903
No. 503] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 1981/KARTIKA 18, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation


## उद्योग मंत्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1981

**का.आ. 793(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 641/अ/18 एफ/18कक/आई.डी.आर.ए/78 तारीख 10 नवम्बर, 1978 द्वारा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक के साथ पठित धारा 18 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकेमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., इलाको हाउस (दूसरी मीजिल) और 3 बावोर्न रोड कलकत्ता 700001 को मैसर्स डा. पाल लोहमान (इंडिया) लि. कलकत्ता का प्रबंध तारीख 10 नवम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने को प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है कि उक्त आदेश सं. का.आ. 641(अ)/18-एफ ए/81कक/आई.डी.आर.ए 78 ता. 10 नवम्बर, 1978 पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी प्रभावी बना रहे ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 एफ ए. की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश, 10 नवम्बर, 1981 से प्रारम्भ होने वाली 6 मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फाइल सं. 4(2)/80]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

### (Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 9th November, 1981

**S.O. 793(E)/18FA/IDRA/81.**—Whereas by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 641(E)/18FA/18AA/IDRA/78 dated the 10th November, 1978 the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FA read with Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised the West Bengal Pharmaceutical and phytochemical Development Corporation Limited, Ilace House (2nd Floor) 1 and 3, Barbourne Road, Calcutta-700001 to take over the management of Messrs Dr. Paul Lohmann (India) Limited of Calcutta for a period of three years commencing from the 10th November, 1978;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order No. S.O. 641(E)/18FA/18AA/IDRA/78 dated 10th November, 1978 should continue to have effect after the expiry of the period of 3 years aforesaid ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months commencing from 10th November, 1981.

[F. No. 4(2)/80-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981